न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –17/2017 जिला दौसा

राजेश पुत्र रामप्रताप दत्तक पुत्र हरसहाय, जाति मीणा, आयु करीब 26 साल , निवासी लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. हजारी पुत्र स्व. मूलचन्द उर्फ मूल्या
2. रामपताप पुत्र स्व. मूलचन्द उर्फ मूल्या
3. कैलाश पुत्र स्व. मूलचन्द उर्फ मूल्या
4. छोटू पुत्र स्व. मूलचन्द उर्फ मूल्या
5. श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व. श्री गोपाल
6. लोकेश उर्फ सोनू पुत्र स्व. श्रीगोपाल
7. ललित उर्फ मोनू पुत्र स्व. श्री गोपाल
8. नवीन पुत्र स्व. श्री गोपाल
9. प्रीति पुत्री स्व. श्री गोपाल
10. सोमोती देवी पत्नी स्व. श्री सीताराम
11. सुरजा बाई पुत्री स्व. श्री सीताराम
12. ममता पुत्री स्व. श्री सीताराम आयु 17 साल
13. हनुमान पुत्र स्व. श्री सीताराम आयु 11 साल
    नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सोमोती देवी सभी जातियान मीणा, निवासीयान लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)
14. तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 3.1.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलार्थी श्री मनोज शर्मा
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री विनोद शंकर अग्रवाल

निर्णय

दिनांक– 30.5.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नांगल राजावतान, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 3.1.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 3.5.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम लाडलीकाबास, तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 915 रकबा 1.95 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.34, 1213 रकबा 0.33, 1215 रकबा 0.02, 1216 रकबा 0.34, 1217 रकबा 0.36, 1765 रकबा 0.40, 1766 रकबा 0.58, 1767 रकबा 0.62, एवं 1771 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर के खातेदार हरसहाय, हजारी, गोपाल, कैलाश छोटू पि. मूल्या बिला रहन

रामप्रताप, सीताराम पि. मूल्या राहिन यूको बैंक शाखा लाहडी का बास मूर्तहीन हरसहाय पुत्र रामसहाय हि. 1/2 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा दौसा मूर्तहीन कौम मीना सा. देह थे । उक्त खातेदान में से खातेदार हरसहाय पुत्र रामसहाय के नाऔलाद फौत होने पर वसियतनामा के आधार पर विरासत का नामांतरकरण खोलने हेतु एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट राजेश मीना पुत्र रामप्रताप मीना, निवासी लाहडी का बास , तहसील नांगलराजावतान द्वारा दिनांक 14.3.2016 को तहसीलदार नांगलराजावतान के समक्ष प्रस्तुत किया ।

तहसीलदार नांगलराजावतान द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये तथा गवाहान के बयान एवं साक्ष्य ली जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2017 द्वारा वसियतनामा की फोटो प्रति नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होने, वसियतनामा रजिस्टर्ड नहीं होने , सहखातेदारों के बयानों से वसियतनामा सही होना प्रमाणित नहीं होने व प्रार्थी द्वारा वसियतनामें की वैद्यता एवं प्रमाणिकता स्वरूप कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने तथा ना ही भूमि स्वअर्जित होने का सबूत पेश करने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है ।

तहसीलदार नांगलराजावतान के उक्त निर्णय दिनांक 3.1.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजेश पुत्र रामप्रताप दत्तक पुत्र हरसहाय द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नांगलराजावतान दिनांक 3.1.17 निरस्त किया जाकर मृतक हरसहाय पुत्र रामसहाय की खातेदारी आराजी का नामांतरकरण वसियतनामा के आधार पर अपीलान्ट के हक में दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

पित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार रामसहाय ने दिनांक 25.3.1962 को हरसहाय को गोद लिया था क्योंकि रामसहाय के कोई जायन्दा पुत्र संतान नहीं थी । रामसहाय की विरासत का नामांतरकरण उसके दत्तक पुत्र हरसहाय के नाम खोले जाने से वह 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा था । उनका कहना था कि हरसहाय के नाऔलाद फौत होने से पहले हरसहाय द्वारा दिनांक 12.10.2013 को अपीलार्थी के पक्ष में एक वसियतनामा लिखा था जिसमें उसके हिस्से की भूमि व पुश्तैनी मकानात अपीलार्थी के नाम किये थे तथा वसियतनामा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करा दिया था । उनका कहना था कि अपीलार्थी को बचपन में ही हरसहाय द्वारा गोद ले लिया था ओर तब से ही अपीलार्थी हरसहाय के पास रह रहा है तथा उनकी सेवा सुश्रुषा की है एवं हिन्दू रीति नीति के अनुसार पुत्र के समान उनके देहान्त पर पगडी की रस्म व अन्य क्रिया कर्म अपीलार्थी द्वारा ही किये हैं । विवादित भूमि के खातेदार हरसहाय पुत्र रामसहाय का दिनांक 19.6.2014 को स्वर्गवास हो गया तथा उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास पूर्व में ही हो गया था । अपीलार्थी ने ही हरसहाय की सेवा सुश्रुषा की है तथा उसके स्वर्गवास के पश्चात् क्रियाकर्म का सारा कार्यक्रम भी अपीलार्थी द्वारा ही किया गया था । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा वसियतनामें के गवाहों को तलब नहीं किया ना ही कोई जॉच की तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाहों व दस्तावेंजों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने पर आदेश की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का

निस्तारण गुणावगुण कर किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार हरसहाय की विरासत का नामांतरकरण वसियत के आधार पर अपीलान्ट के हक में तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरसहाय पुत्र रामसहाय द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट राजेश पुत्र रामप्रताप को कभी भी गोद नहीं लिया । उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार के समक्ष गवाहों के बयानों से होती है । उनका कहना था कि हरसहाय की मृत्यु होने पर उसका क्रयाकर्म व सभी कार्य उनके भाईयों द्वारा किया गया था । हरसहाय की सेवा सुश्रुषा भी उनके भाईयों द्वारा ही की थी । हरसहाय की भूमि की वसियत उसके सभी भाईयों के नाम होनी चाहिये थी । अपीलार्थी राजेश के नाम की हुई वसियत फर्जी है । उनका कहना था कि तहसीलदार नांगलराजावतान द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर विवादित भूमि के सहखातेदारों के बयानों के आधार पर वसियत को सही नहीं होना मानते हुये अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 3.1.17 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरसहाय पुत्र रामसहाय के नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण से संबंधित है । अपीलार्थी वसियतनामे के आधार पर मृतक खातेदार हरसहाय पुत्र रामसहाय की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम करवाना चाहता है जबकि रेस्पोंडेन्ट वसियत को फर्जी बताते हैं । तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा वसियत के आधार पर नामांतरकरण खुलवाने हेतु अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2017 पक्षकारान को सुन कर गवाहान के बयान एवं साक्ष्य ली जाकर वसियतनामा की फोटो प्रति नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होने, वसियतनामा रजिस्टर्ड नहीं होने , सहखातेदारों के बयानों से वसियतनामा सही होना प्रमाणित नहीं होने व प्रार्थी द्वारा वसियतनामें की वैद्यता एवं प्रमाणिकता स्वरूप कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने तथा ना ही भूमि स्वअर्जित होने का सबूत पेश करने के आधार पर खारिज किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार हरसहाय की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट दत्तक पुत्र एवं वसियत के आधार पर खुलवाना चाहता है । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें दत्तक/वसियत के विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्नों को तय नहीं किया जा सकता , बल्कि ऐसे प्रश्न व्यवहार न्यायालय द्वारा ही तय किये जा सकते हैं । दत्तक एवं वसियत के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान , जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.17 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है , जो उचित एवं

विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 30.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर